फर्द अहकाम

भागा देवी **बनाम** सुन्दरी देवी

संख्या / वर्ष : / 20

सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05/08/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 18/8/22 को पेश हो। [signature]	
	18/8/22	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अत: अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 22/8/22 को पेश हो। [signature]	
	22/8/22	प.क्र. 35 । बहस सुनी गयी । बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया । प्रार्थी का प्रा.पत्र धारा 151 CPC स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है अत: प्रा.पत्र 151 CPC खारिज किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जावे। निर्णय शामिल पत्रावली रहे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर चौमूँ (जयपुर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:34:57 IST
Reason: SelfAttested

... ममता देवी, पूजा देवी पुत्रियां स्व0 श्री भगवानसहाय, सुभाष

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

श्रीमती लाडा देवी बनाम सुन्दरी देवी वगै0

मुकदमा संख्या :–07/2022

दिनांक	आज्ञा – पत्र
22.08.2022	प्रार्थना पत्र तहत धारा 151 सीपीसी

आदेश

दिनांकः– 22.08.2022

प्रार्थीया/प्रतिवादी सं0 10 की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उपरोक्त उनवानी वाद में पेश किये गये द्वितीय प्रार्थना पत्र सं0 3/2009 बउनवानी सुन्दरी देवी बनाम लाडा देवी वगै0 में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 26.04.2013 द्वारा न्यायालय हाजा ने मूल वाद के उभयपक्षों को ताफैसला मूल वादग्रस्त आराजी खसरा नं0 1 ता 5, 13 ता 21, 24 ता 29, 79/1855, 82/1856 कुल किता 22 का कुल रकबा 21.55 हैक्टेयर वाके ग्राम गोविन्दगढ़ तथा खसरा नं0 24, 25, 43, 26/346, 42/347 कुल किता 5 का कुल रकबा 4.17 हैक्टेयर व खसरा नं0 41, 44 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.28 हैक्टेयर वाके ग्राम चारणवास, तहसील चौमूं व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश पारित किया हुआ है। उपरोक्त मूल वाद के साथ प्रस्तुत किये गये प्रथम प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा सं0 164/2001 का निस्तारण तत्कालीन विचारण न्यायालय माननीय उपखण्ड अधिकारी चौमूं, जिला जयपुर द्वारा दिनांक 24.01.2003 को कर दिया गया था, जिसकी अवहेलना किये जाने का प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी तत्कालीन विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर उपरोक्त आदेश दिनांक 24.01.2003 की पालना पुलिस सहायता से कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी, जिसे वादीगण द्वारा माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर के समक्ष आक्षेपित करने पर प्रस्तुत निगरानी याचिका को भी खारिज कर आदेश दिनांक 24.01.2003 की पालना पुलिस सहायता से कराये जाने की पुष्टि कर दी गई थी, जिसकी [illegible] फर्द कब्जा सुपुर्दगी दिनांक 22.12.2008 ग्राम गोविन्दगढ़ व [illegible] की गई, जिसमें अन्य के अतिरिक्त राजस्व ग्राम गोविन्दगढ़ में स्थित खसरा नं0 14 गैर मुमकिन आबादी में मिन प्रार्थीया का बाड़ा व कच्चे [illegible] होना स्वीकृत किया गया है, जिसका प्रार्थीया अपने हिस्से अनुसार पूर्व से ही उपयोग उपभोग कर रही है। उपरोक्त मूल वाद के पक्षकार मंगलचन्द, कानाराम पुत्रान स्व0 श्री रुड़ा, मन्नी देवी पत्नि स्व0 श्री भगवानसहाय, तीजा देवी, मुरली देवी, भगती देवी, पूजा देवी पुत्रियां स्व0 श्री भगवानसहाय, सुभाष

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:34:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक [illegible]
चौमूं (जयपुर)

पुत्र स्व0 श्री भगवानसहाय, बाबूलाल पुत्र स्व0 श्री भगवानसहाय, जाति जाट, निवासियान ग्राम गोविन्दगढ़ के प्रार्थना पत्र दिनांक 14.12.2021 अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी सं0 21/2021 बउनवानी मंगलचन्द वगै0 बनाम सुन्दरी देवी वगै0 को स्वीकार कर पूर्ववर्ती अन्तरिम निषेधाज्ञाओं में शिथिलता प्रदान करते हुए इन्हें विरासत का नामान्तकरण, बहिनों का हकत्याग व के0सी0सी0 लोन लेने की छूट प्रदान की गई है। प्रार्थीया अपने परिवार सहित कदीमी काल से भूमि खसरा नं0 14 किस्म गैर मुमकिन आबादी वाके ग्राम विकास नगर, तहसील चौमूं, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर में मकानात व बाड़ा बनाकर रह रही है, परन्तु उपरोक्त मकानात में न तो पुख्ता छत है एव ना ही आवासीय प्रयोजन के लिए विद्युत का कनेक्शन स्थापित है, जिसके दुष्परिणामस्वरुप प्रार्थीया को अपने व अपने परिवार के जीवनयापन में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उपरोक्त वाद के कारण प्रार्थीया ना तो अपने मकानात को पुख्ता कर इस पर पुख्ता छत डाल पा रही है एव ना ही आवासीय प्रयोजन के लिए विद्युत का कनेक्शन प्राप्त कर पा रही है। प्रार्थीया मृत्यु शैय्या पर है। प्रार्थीया की एकमात्र संतान पुत्री लाडा देवी कैंसर के रोग से जीवन व मृत्यु के बीच जूझ रही है तथा प्रार्थीया के दामाद हृदय रोग से पीड़ित हैं, जिनकी बाईपास हो रखी है। प्रार्थीया का दोहिता प्रमोद विवाह योग्य हो गया है व मर्चेन्ट नेवी में कार्यरत है किन्तु पक्के मकान ना होने के कारण उसका रिश्ता नहीं हो पा रहा है। प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि भूमि खसरा नं0 14 किस्म गैर मुमकिन आबादी वाके ग्राम विकास नगर, तहसील चौमूं, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर में बने हुए अपने मकानात को पुख्ता कर इन पर पुख्ता छत डाले जाने व उपरोक्त मकानात में आवासीय प्रयोजनार्थ विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की अनुमति फरमावें ताकि प्रार्थीया व उसके परिवार का जीवनयापन सुगम हो सके।

अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि अप्रार्थीगण/वादीगण की ओर से वाद सं0 [illegible] 119/2009(200/2001) के साथ प्रार्थना पत्र अस्[illegible] साथ–साथ प्रथम प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा सं0 164/2001 [illegible] था, जिसका निर्णय दिनांक 24.01.2003 को [illegible] आदेश दिनांक 24.01.2003 भी प्रभावी स्थगन है। प्रार्थीया/प्रतिवादिया [illegible] 10 लाडा देवी का विवादित भूमियों पर कभी भी कब्जा मालिकाना नहीं रहा था। प्रार्थीया/प्रतिवादिया सं0 10 का सम्पूर्ण भूमियों में हिस्सा 1/5 खातेदारी में रहा था, जिसमें से 1/2 भाग यानि कुल भूमियों के हिस्सा 1/10 भाग को

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:34:57 IST
Reason: SelfAttested

लाडा देवी ने मुख्त्यारआम रोहिताश सिंह पुत्र जगदेव सिंह, जाति जाट, निवासी 1–सी–15, शिव शक्ति कॉलोनी शास्त्री नगर, जयपुर के हक में उप पंजीयक, चौमूं के समक्ष एक मुख्त्यारनामा आम पेश किया था जो मुख्त्यारनामा आम तस्दीक दिनांक 24.06.2005 को उपपंजीयक चौमूं में करवाया गया था। उक्त मुख्त्यारआम द्वारा 1/10 हिस्सा का विक्रय पत्र सुमित्रा देवी धर्मपत्नि रणजीतसिंह निठारवाल, जाति जाट, निवासी ग्राम सीतारामपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर को बेचान की जा चुकी है। जो विक्रय पत्र न्यायालय श्रीमान के स्थगन आदेश दिनांक 24.01.2003 के प्रभावी रहते हुए करवाया गया था। न्यायालय श्रीमान के स्थगन आदेश दिनांक 24.01.2003 की पालना पुलिस इम्दाद से नहीं करवाई गई थी तथा ना ही उक्त आदेश के विरुद्ध मिन अप्रार्थीगण राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी की गई थी, प्रार्थीया की विवादित भूमियों के बाबत दिनांक 22.12.2008 को सुपुर्दगी नहीं दी गई। ग्राम गोविन्दगढ़ में खसरा नं0 14 रकबा 0.31 है0 भूमि चाही भूमि है, आबादी भूमि नहीं है। खसरा नं0 14 में पूर्व से पुश्तैनी मकान बना रखा है, जिस मकान में प्रार्थीया के पिता का हिस्सा 1/5 भाग है। जिस मकान में प्रार्थीया अपनी माता के साथ निवास कर रही है। प्रार्थीया का बाड़ा व कच्चे मकान नहीं हैं, बल्कि प्रार्थीया जबरन उक्त भूमि में पुख्ता निर्माण कार्य करने को आमदा है। प्रार्थीया का भूंमि विवादग्रस्त के हिस्सा 1/5 भाग पर कभी भी ना तो पूर्व में कब्जा रहा, ना ही वर्तमान में कोई कब्जा है। प्रार्थीया ने अपने हिस्से 1/5 भाग में हिस्सा 1/2 भाग को जरिये मुख्त्यारआम द्वारा बेचान कर दिया है एवं शेष भूमि को भी बेचान करने को आमदा है। प्रार्थीया को वाद पत्र व स्थगन के रहते किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य करने व पुख्ता छत डालने व उक्त निर्माण कार्य में आवासीय प्रयोजनार्थ विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने की कानूनन स्वीकृति नहीं दी जा सकती है। प्रार्थीया द्वारा पूर्व में भी जरिये पुलिस इमदाद के कब्जा प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान द्वारा खारिज किये जा चुके हैं तथा न्यायालय श्रीमान के निर्णय दिनांक 26.04.2013 के विरुद्ध प्रार्थीया ने राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष अपील पेश की जोकि [illegible] देवी बनाम सुन्दरी देवी वगै0 की अपील निर्णय दिनांक [illegible] खारिज हो चुकी है तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध [illegible] रिवीजन विचाराधीन चल रही है, जो रिवीजन सं0 1996/2021 है, [illegible] में आगामी पेशी दिनांक 22.11.2022 है। इस कारण भी प्रार्थीया द्वारा जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, वह तथ्यों को छुपाकर झूठे तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रार्थीगण मुगलचन्द, कानाराम पुत्र स्व0 रुड़ा, मन्नी देवी पत्नि स्व0

सहायक कलेक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:34:57 IST
Reason: SelfAttested

भगवानसहाय, तीजा देवी, मुरली देवी, भगवती देवी, पूजा देवी पुत्रियां स्व0 भगवानसहाय, सुभाष पुत्र स्व0 भगवानसहाय, बाबूलाल पु. स्व0 भगवानसहाय, जाति जाट, निवासी ग्राम गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ने प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी का पेश किया था जो मंगलचन्द बनाम सुन्दरी देवी वगै0 मु0नं0 21/2021 था, जिसमें न्यायालय श्रीमान दोनों पक्षों को सुनवाई कर विरासत नामान्करण, हक त्याग व केसीसी लोन की स्वीकृति दी गई है, उक्त खातेदार जोकि वादपत्र में पक्षकार हैं तथा भगवासहाय भी पक्षकार था जो फौत हो चुका है, जिसके वारिसान रिकॉर्ड पर आ चुके हैं, उक्त पक्षकार प्रार्थना पत्र सं0 03/2009 में पक्षकार नहीं हैं। उक्त प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में प्रार्थीया लाडा देवी के विरुद्ध दादरसी चाही गई थी, क्योंकि भूमि लाडा देवी ने दौराने वाद व स्थगन के मुख्त्यारनामा कर भूमि को जरिये मुख्त्यारनामा आम द्वारा लाडा देवी का हिस्सा 1/5 का 1/2 भाग बेचान किया जा चुका है। बेचान की गई भूमि पर क्रेत्री सुमित्रा सिंह भी काबिज नहीं है। प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीया अपने परिवार सहित कदीमी काल से भूमि खसरा नं0 14 वाके ग्राम विकासनगर, गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में मकानात व बाड़ा बनाकर नहीं रह रही है बल्कि प्रार्थीया ग्राम पटवारियों का बास, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में अपने ससुराल में निवास करती है। प्रार्थीया का उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का पुख्ता मकानात, बाड़ा बनाने व उक्त पर पुख्ता छत डालने की कानूनन इजाजत नहीं दी जा सकती है क्योंकि अप्रार्थीगण/वादीगण का वादपत्र तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा का है। जिस वाद पत्र के मु0नं0 200/2001 हैं, जिसको चलते 21 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन लाडा देवी वाद पत्र में कानूनी तकासमा नहीं होने देने व भूमि को बेचान करने से एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी कर मुकदमे को देरीना कर रही है तथा वादीगण के वादपत्र का कानूनी तकासमा नहीं हो पा रहा है। प्रार्थीया लाडा देवी ने सम्पूर्ण तथ्य बनावटी, झूठे अंकित किये हैं। वादीगण/अप्रार्थीगण ने वादपत्र बाबत [illegible] निषेधाज्ञा वाद सं0 200/2001 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना प[illegible] 16[illegible]001 उनवानी दीपाराम वगै0 बनाम कालूरा[illegible] न्यायालय [illegible] विवादित भूमियों खसरा नं0 1 ता 5, 13 ता 21, 24 ता 2[illegible] 1855, 82/1856 कुल किता 22 का कुल रकबा 21.55 है0 ग्राम [illegible]कासनगर, गोविन्दगढ़, तहसील चौमूं, जिला जयपुर व खसरा नं0 24, 25, 43, 26/346, 42/347 कुल किता 5 का कुल रकबा 4.17 है0, खसरा नं0 41, 44 कुल किता 2 का कुल रकबा 2.28 है0 वाके ग्राम चारणवास, तहसील चौमूं, जिला

884
सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:34:57 IST
Reason: SelfAttested

जयपुर के बाबत पेश किया था, जिसमें न्यायालय श्रीमान द्वारा दोनों पक्षों की सुनवाई कर मु0नं0 164/2001 प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय दिनांक 24.01.2003 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौमूं, जिला जयपुर द्वारा निर्णय पारित कर अप्रार्थीगण सं0 1 ता 10 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द किया गया था कि भूमि विवादग्रस्त में पक्षकार वर्तमान कब्जेकाश्त अनुसार एक–दूसरे के कब्जे, उपयोग व उपभोग में दखलंदाजी नहीं करें व किसी विशिष्ट भू–भाग का बेचान वाद के निस्तारण तक नहीं करें, उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण सं0 10 लाडा देवी द्वारा भूमि को जरिये मुख्त्यारआम से विक्रय पत्र दिनांक 08.09.2005 को बेचान किया गया था, जिस पर अप्रार्थीगण/वादीगण में द्वितीय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी सुन्दरी देवी वगै0 बनाम लाडा देवी वगै0 में असथायी निषेधाज्ञा दिनांक 02.01.2009 मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए गए थे तथा दोनों पक्षों को सुनवाई कर न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 26.04.2013 को विवादित भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति मूल वाद के निस्तारण तक बनाए रखने के लिए पाबन्द किया गया है। प्रार्थीया लाडा देवी ने न्यायालय श्रीमान के द्वितीय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा सं0 03/2009 उनवानी सुन्दरी देवी बनाम लाडा देवी वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 26.04.2013 के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के अपील पेश की गई जो अपील दोनों पक्षों को सुनवाई कर दिनांक 04.08.2015 को खारिज फरमा दी गई। उक्त निर्णय के विरुद्ध प्रार्थीया द्वारा न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के अलग–अलग निगरानी पेश की गई, जो निगरानी सं0 2021/1996 उनवानी लाडा देवी बनाम सुन्दरी देवी वगै0 आगामी पेश दिनांक 14.11.2022 व निगरानी सं0 2021/1993 लाडा देवी बनाम सुन्दरी देवी वगै0 में आगामी पेशी दिनांक 14.11.2022 नियत है, जिनके विचाराधीन रहते हुए प्रार्थीया उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर किसी प्रकार की कोई पुख्ता निर्माण की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर सकती है। उक्त विवादित भूमि के बाबत विक्रय पत्र दिनांक 08.09.2005 के विरुद्ध केत्री सुमित्रा देवी बनाम लाडा देवी व लाडा देवी बनाम सुमित्रा देवी के नाम से न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश चौमूं में भी कार्यवाही विचाराधीन [illegible] जिसका निर्णय होने पर वर्तमान में राजस्थान [illegible] के यहां प्रकरण विचाराधीन चल रहा है। उक्त [illegible] न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद उनवानी दीपाराम वगै0 बनाम कालू[illegible] वगै0 वाद सं0 200/2001 बाबत तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा का लम्बे समय से विचाराधीन चल रहा है। उक्त वाद पत्र में प्रार्थीया द्वारा कानूनी तकासमा नहीं होने की

884
सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:34:57 IST
Reason: SelfAttested

रुकावट कर बेवजह आये दिन भूमि पर जरिये पुलिस इमदाद कब्जा लेने बाबत कई प्रार्थना पत्र पेश किये जा चुके हैं, जो न्यायालय श्रीमान द्वारा खारिज किये जा चुके हैं तथा अब प्रार्थीया भूमि में जबरन कब्जा करने की नीयत से पुख्ता निर्माण करने के लिए न्यायालय श्रीमान से उक्त स्थगन आदेश दिनांक 26.04.2013 व दिनांक 24.01.2003 में निर्माण करने की इजाजत चाह रही है, जो इजाजत कानूनन दिया जाना न्यायसंगत नहीं है क्योंकि उक्त इजाजत दी जाती है तो पक्षकारान को भारी मुकदमेबाजी होने की संभावना है क्योंकि प्रार्थीया द्वारा जरिये मुख्त्यारेआम भूमि जब बेचान की जा चुकी है तो किसी भी प्रकार के दादरसी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं होने से प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीया द्वारा पेश प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण झूठे तथ्यों पर आधारित होने व वाद पत्र की अग्रिम कार्यवाही को देरीना करने की गरज से पेश किया गया है एवं अप्रार्थीगण/वादीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से पेश किया गया है तथा राजस्व मण्डल अजमेर एवं राजसथान उच्च न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने से प्रार्थना पत्र मय हर्जा व खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

वकील प्रार्थीया व अप्रार्थीगण उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में खसरा नं0 14 में पुख्ता मकानात के निर्माण की अनुमति चाही गई है। प्रार्थीया/प्रतिवादिया सं0 10 का सम्पूर्ण भूमियों में हिस्सा 1/5 खातेदारी में रहा था, जिसमें से 1/2 भाग यानि कुल भूमियों के हिस्सा 1/10 भाग को लाडा देवी ने मुख्त्यारआम रोहिताश सिंह पुत्र जगदेव सिंह, जाति जाट, निवासी 1–सी–15, शिव शक्ति कॉलोनी शास्त्री नगर, जयपुर के हक में उप पंजीयक, चौमूं के समक्ष एक मुख्त्यारनामा आम पेश किया था जो मुख्त्यारनामा आम तस्दीक दिनांक 24.06.2005 को उपपंजीयक चौमूं में करवाया गया था। उक्त मुख्त्यारआम द्वारा 1/10 हिस्सा का विक्रय पत्र सुमित्रा देवी धर्मपत्नि रणजीतसिंह निठारवाल, जाति जाट, निवासी ग्राम सीतारामपुरा, तहसील [illegible] जयपुर को बेचान की जा चुकी है। जो विक्रय पत्र [illegible] 24.01.2003 के प्रभावी रहते हुए करवाया [illegible] पूर्व में भी जरिये पुलिस इमदाद के कब्जा प्राप्त करने के प्रार्थना पत्र [illegible]यालय श्रीमान द्वारा खारिज किये जा चुके हैं तथा न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.04.2013 के विरुद्ध प्रार्थीया ने राजस्व अपील अधिकारी जयपुर के समक्ष जोकि उनवानी लाडा देवी बनाम सुन्दरी देवी वगै0 की अपील निर्णय दिनांक 04.08.2015

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:34:57 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा खारिज हो चुकी है तथा उक्त निर्णय के विरुद्ध राजस्व मण्डल अजमेर में रिवीजन विचाराधीन चल रही है, जो रिवीजन सं0 1996/2021 है, जिसमें आगामी पेशी दिनांक 22.11.2022 है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय अभिमत में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र तहत धारा 151 सीपीसी का खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:34:57 IST
Reason: SelfAttested